

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च, 2018-चैत्र 9, शके 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, नितिन जैन पुत्र श्री सतीश कुमार जैन, निवासी पी-33 ए, पटेल नगर, सिटी सेंटर, ग्वालियर सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का नाम एल.आई.सी. के कोमल जीवन प्लान में सौम्य जैन हो गया है. जो कि गलत है. मेरे पुत्र का वास्तविक व सही नाम अभिनव जैन (ABHINAV JAIN) है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सभी सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजों में वास्तविक नाम अभिनव जैन (ABHINAV JAIN) के नाम से जाना-पहचाना जाए.

सर्व-साधारण सूचित हों.

(870-बी.)

नितिन जैन,

पी-33 ए, पटेल नगर, सिटी सेंटर,
ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

मैं, एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं, कालु चौहान पिता कनसिंग चौहान, आयु 28 वर्ष, निवासी ग्राम चिखल्या, पोस्ट बोरी बुजूर्ग, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश और हाल/वर्तमान निवास पता-ग्राम चिखल्या, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश का हूँ.

मेरा पहला नाम कालु चौहान पिता कनसिंग चौहान था, जो मैंने अपना नाम बदलकर मेरा नाम रोहित चौहान कर लिया है और मेरे पिता का नाम कनसिंग चौहान है.

मेरा परिवर्तित नाम रोहित चौहान प्रचलन में होकर मुझे इसी परिवर्तित नाम से जाना-पहचाना जावे और इसी परिवर्तित नाम से संबोधित किया जावे.

ऐसी मैं, घोषणा करता हूँ.

पुराना नाम :

(कालु चौहान)

पिता कनसिंग चौहान.

(798-बी.)

नया नाम :

(रोहित चौहान)

पिता कनसिंग चौहान,

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार का नाम भेरूलाल गुर्जर पिता कमलराम गुर्जर था. जो इस सूचना दिनांक से बदलकर "देव गुर्जर पिता कमलराम गुर्जर" मान्य किया जाए अर्थात् इस सूचना दिनांक से मेरे उक्त पक्षकार को "देव गुर्जर" के नाम से जाना जायेगा. सो सूचित हो.

(858-बी.)

BRIJESH SHARMA,
Advocate (MP/Adv/1136/08),
Off. 101, Free Ganj, Do Batti, Ratlam,
Chamber No. 15, Disst. Court Ratlam.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विष्णु खत्री पुत्र धन्नालाल खत्री जन्म दिनांक 05-02-1972, आयु 46 वर्ष, निवासी 149-150 ओमशिव नगर लालघाटी, जिला भोपाल मध्यप्रदेश को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम विष्णु प्रसाद पुत्र धन्नालाल था. मेरी समस्त अंकसूची एवं मूल निवासी व जाति प्रमाण-पत्र में मेरा नाम विष्णु प्रसाद पुत्र धन्नालाल ही अंकित है परन्तु वर्तमान में मेरा नाम विष्णु खत्री पुत्र धन्नालाल हो गया है. मेरे पास समस्त दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, पिस्टल लायसेंस मध्यप्रदेश टूरिज्म कार्ड, एडवोकेट आईडी कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, परिचय पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम विष्णु खत्री पुत्र धन्नालाल ही चला आ रहा है और वर्तमान में मुझे विष्णु खत्री पुत्र धन्नालाल के नाम से जाना व पहचाना जाता है और भविष्य में मुझे विष्णु खत्री के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(विष्णु प्रसाद)
(859-बी.)

नया नाम :
(विष्णु खत्री)
ओम शिव नगर, लाल घाटी, भोपाल.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी 10वीं कक्षा की मार्कशीट में मेरा नाम कु. नम्रता केतकर पुत्री श्री विजय केतकर अंकित है. जिसे शादी पश्चात् बदलकर श्रीमती श्रुति गजेन्द्रगडकर पत्नी श्री श्रीनिवास गजेन्द्रगडकर कर लिया है. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम :
(कु. नम्रता केतकर)

नया नाम :
(श्रुति गजेन्द्रगडकर)
पत्नी श्री श्रीनिवास गजेन्द्रगडकर,
पता-202, गोपाल विलास कॉम्प्लेक्स,
छप्परवाला पुल, शिन्दे की छावनी, लशकर,
ग्वालियर.

(860-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मुख्त्यार खान था. दिनांक 31 जनवरी, 2010 रविवार को मेरे द्वारा सपरिवार आर्य समाज संस्कार केन्द्र, 90 बैंक कॉलोनी, इन्दौर में वैदिक हिन्दू धर्म की दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात् मेरा नाम मानस अग्रवाल हो गया है. अतः आगे से दिनांक 31 जनवरी, 2010 के पश्चात् मुझे भविष्य में मानस अग्रवाल के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(मुख्त्यार खान)

नया नाम :
(मानस अग्रवाल)
जे-5, जे. एन. यू. आर. एम. नैनोद मल्टी,
एयरपोर्ट रोड, इन्दौर.

(876-बी.)

नाम परिवर्तन

मैंने अपने पुत्र आर्यमन टेलर, (आयु लगभग 09 वर्ष) निवासी-RB-V/514, रेल्वे अधिकारी कॉलोनी हबीबगंज, भोपाल का नाम परिवर्तित करके आर्यमन मेहता रख लिया है. भविष्य में मेरे पुत्र को आर्यमन मेहता के नाम से जाना जावे.

(880-बी.)

सुनील टेलर,
RB-V/514, रेल्वे अधिकारी कॉलोनी,
हबीबगंज, भोपाल.

CHANGE OF NAME

I declared that just before some time my name was Monu Gole. But now I am changing it Monu Gole to Aaditya Raj Prajapati. So my name would be written as Aaditya Raj Prajapati for all Government and Non Government purpose.

Old Name:
(**MONU GOLE**)

New Name :
(**AADITYA RAJ PRAJAPATI**)
57, Lalitpur Colony, Gwalior.

(862-B.)

CHANGE OF SURNAME

Before marriage my name was Preeti Chohan and after marriage Preeti Kaushal W/o Malak Singh Kaushal. But in my husband's Service Record my name written only Preeti So, I want to be correct and complete it with my surname, So, from now my name would be written as Preeti Kaushal.

Old Name:
(**PREETI CHOCHAN/PREETI**)

New Name :
(**PREETI KAUSHAL**)
W/o Malak Singh Kaushal,
Vill.-Choral, Teh.-Mhow,
Disst.-Indore.

(863-B.)

CHANGE OF SURNAME

I, declare that My daughters name is Toshika Kaushal but in my service record her name written only Toshika, So, I want to be correct and complete it with my surname, So, from now my daughters name would be written as Toshika Kaushal.

Malak Singh Kaushal,
(Father)
Vill.-Choral, Teh.-Mhow,
Disst.-Indore.

(864-B.)

CHANGE OF NAME

I, Aryan Dubey declared that in childhood my name was Vatslya Dubey. But before some time we have changed it to Vatslya Dubey to Aryan Dubey. So my name would be written as Aryan Dubey for all Government and Non-Government purpose.

Old Name:
(**VATSLYA DUBEY**)

New Name :
(**ARYAN DUBEY**)
S/o Pratiksha Dubey,
806, A E-7, Arera Colony,
Bhopal.

(865-B.)

नाम परिवर्तन

सूचित हो कि मेरी पुत्री का नाम गेहना तिवारी (समस्त शैक्षणिक व जरूरी दस्तावेजों में दर्ज) घरेलू नाम है जिसे बदलकर मैं रतिमा तिवारी कर रहा हूँ. भविष्य में उसे रतिमा तिवारी के नाम से ही जाना जावे.

सूचनाकर्ता-
गौरव तिवारी,
निवासी-एम-16, चेतकपुरी, ग्वालियर.

(867-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है मेरा पूर्व में मेरा नाम कल्ली पुत्र रघुनन्दन था. मेरे जमीन के दस्तावेजों में कल्ली पुत्र श्री रघुनन्दन अंकित है. शासकीय दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड में मेरा नाम अशोक शर्मा पुत्र श्री रघुनन्दन है. उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं. अतः भविष्य में मुझे अशोक शर्मा पुत्र श्री रघुनन्दन शर्मा के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(कल्ली)

पुत्र रघुनन्दन,

नया नाम :

(अशोक शर्मा)

पुत्र श्री रघुनन्दन शर्मा,
म. नं. 343, शिवनगर गली नं. 1,
घोसीपुरा रेल्वे स्टेशन, सत्य नारायण की टेकरी,
लशकर, ग्वालियर.

(866-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व मैं, नीलम पुत्री श्री दीपक कुमार के नाम से जानी जाती थी. मेरे समस्त शैक्षणिक व अन्य दस्तावेज (शादी से पूर्व व बाद के) में मेरा नाम नीलम अंकित है. शादी के बाद मेरा नाम मनप्रीत कौर पत्नी श्री परविन्द्र सिंह हो गया है. उक्तानुसार वर्णित दोनों नाम मेरे ही होकर एक ही महिला के नाम हैं और मुझे दोनों नामों से जाना जाए.

पुराना नाम :

(नीलम)

पुत्री श्री दीपक कुमार.

नया नाम :

(मनप्रीत कौर)

पत्नी श्री परविन्द्र सिंह,
पता-271, एम. आई. जी. डीलक्स बी,
कटारा हिल्स, भोपाल.

(868-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा एल. आई. सी. की पालिसी क्र. 204185039 में भूलवश मेरा नाम श्रीमती जानकी तोमर अंकित हो गया है. जबकि मेरा वास्तविक नाम रामजानकी तोमर है. जो कि मेरे सभी दस्तावेजों में अंकित है. मुझे मेरे वास्तविक नाम श्रीमती रामजानकी तोमर के नाम से ही जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(जानकी तोमर)

पत्नी श्री हरीसिंह तोमर,

नया नाम :

(रामजानकी तोमर)

पत्नी श्री हरीसिंह तोमर,
निवासी प्रसाद नगर, चार शहर का नाका,
हजीरा, ग्वालियर.

(869-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, संगीता अहिरवार पिता का नाम हल्के प्रसाद स्थाई पता वार्ड नं. 4, गांधी चौक बारीगढ़, जिला छतरपुर (मध्यप्रदेश) में, उपरोक्त शपथकर्ता, शपथपूर्वक सत्यनिष्ठा से निम्नानुसार कथन और प्रतिज्ञान करती हूँ, यह कि मेरी अंकसूची व सभी दस्तावेज पर मेरा नाम संगीता अहिरवार नाम दर्ज है जो कि अब मैं, अपना नाम संगीता सिंह उपयोग करना चाहती हूँ. यह कि मैं मेरा नाम संगीता सिंह जाना व पहचाना जावे तथा भविष्य में इसी नाम का उपयोग करूंगी. यह कि उक्त दोनों नाम संगीता अहिरवार व संगीता सिंह एक ही महिला याने मेरे स्वयं के ही हैं. इन दो नाम की अलग-अलग महिला नहीं है.

पुराना नाम :

(संगीता अहिरवार)

नया नाम :

(संगीता सिंह)

निवासी वार्ड नं. 4, गांधी चौक बारीगढ़,
जिला छतरपुर.

(878-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नलिनी अमडेकर पुत्री स्व. श्री केशवराव अमडेकर, निवासिनी लेले की बगिया, ढोली का पुल, लशकर, ग्वालियर का विवाह दिनांक 21-12-1966 को श्री प्रभाकर राव फाटक पुत्र श्री विष्णुपंत फाटक से सम्पन्न हुआ था एवं विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती वन्दना फाटक रखा गया था. मैं अब भविष्य में श्रीमती वन्दना फाटक पति स्व. श्री प्रभाकर राव फाटक पुत्री स्व. श्री केशवराव अमडेकर के नाम से जानी जाऊंगी.

पुराना नाम :
(नलिनी अमडेकर)
(861-बी.)

नया नाम :
(वन्दना फाटक)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम राजिक खान पिता मुख्त्यार खान था. दिनांक 31 जनवरी, 2010 रविवार को मैंने स्वयं ने स्वेच्छा से सपरिवार माता-पिता तथा भाई सहित आर्य समाज संस्कार केन्द्र 90 बैंक कॉलोनी, इन्दौर में वैदिक हिन्दू धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली है. इसके पश्चात् मेरा नाम रचित अग्रवाल पिता मानस अग्रवाल हो गया है. अतः आगे से दिनांक 31 जनवरी, 2010 के पश्चात् मुझे भविष्य में रचित अग्रवाल पिता मानस अग्रवाल के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(राजिक खान)
पिता मुख्त्यार खान.

नया नाम :
(रचित अग्रवाल)
पिता मानस अग्रवाल,
जे-5, जे. एन. यू. आर. एम. नैनोद मल्टी,
एयरपोर्ट रोड, इन्दौर.

(877-बी.)

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम हेमा आलानी (HEMA AILANI) के स्थान पर विवाह हो जाने के कारण रीति रिवाजों अनुसार नया नाम-रीत धामेचा (REET DHAMECHA) ग्रहण कर लिया है. सो मुझे मेरे परिचित, रिश्तेदार, समाजजन नये परिवर्तित नाम रीत धामेचा (REET DHAMECHA) के नाम से जाने-पहचाने व पुकारें.

पुराना नाम :
(हेमा आलानी)

नया नाम :
(रीत धामेचा)
पति संजय धामेचा,
मकान नं. 27, विकास नगर 14/1,
नीमच, जिला नीमच.

(871-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, अर्चना इंगले (ARCHANA INGLE) पति अभय सिंह इंगले, निवासी सिंधिया स्कूल फोर्ट, ग्वालियर के है. मेरे मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र में मेरा नाम (ARCHNA INGLE) अंकित है जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम (ARCHANA INGLE) अंकित है विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र (ARCHNA INGLE) के स्थान पर (ARCHANA INGLE) पढ़ा व माना जावे.

पुराना नाम :
(अर्चना इंगले)
(ARCHNA INGLE)

नया नाम :
(अर्चना इंगले)
(ARCHANA INGLE)
पत्नी श्री अभय सिंह इंगले,
निवासी-सिंधिया स्कूल फोर्ट, ग्वालियर.

(875-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स श्रीराम बोरवेल कम्पनी, 205, गोवर्धन कॉलोनी, हनुमान मंदिर के पास, भिण्ड रोड, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0251/17, दिनांक 29-12-2017 है. जिसमें दिनांक 15-02-2018 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार क्रमांक 1 श्री कल्लू खॉन पुत्र श्री इशाक खॉन, आयु 44 वर्ष, निवासी 399, लखानीपुर शताब्दीपुरम, ग्वालियर

तथा पक्षकार क्रमांक 2 श्री मनोज पाठक पुत्र श्री रामबाबू पाठक, आयु 36 वर्ष, निवासी बी-26, गोवर्धन कॉलोनी, गोला का मंदिर, ग्वालियर जोकि फर्म से स्वेच्छा से पृथक हो गये है. इनका इस फर्म से किसी भी प्रकार का कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है तथा भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेर के मुताबिक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

मैसर्स श्रीराम बोरेवेल कंपनी,
सपना भदौरिया,
(पार्टनर).

(855-बी.)

जाहिर सूचना

यह है कि भागीदारी फर्म मै. द कर्मा गुपा, पता-एम. पी. ई. बी. पावर हाउस पिन्टो पार्क तिराहा, भिण्ड रोड, ग्वालियर मध्यप्रदेश जिसका रजिस्ट्रेशन नं. 02/42/01/00234/14, दिनांक 17-12-2014 जिसमें भागीदार श्रीमती निर्मला गुप्ता पत्नी श्री राम निवास गुप्ता, निवासी 345, जीवाजी नगर थाटीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश एवं श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री आशाराम गुप्ता, निवासी 345, जीवाजी नगर थाटीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश एवं श्री राम निवास गुप्ता पुत्र श्री रतन लाल गुप्ता, निवासी 345, जीवाजी नगर थाटीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश एवं श्री राहुल गुप्ता पुत्र श्री राम निवास गुप्ता, निवासी 345, जीवाजी नगर थाटीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश एवं श्री अंकित गुप्ता पुत्र श्री राम निवास गुप्ता, निवासी 345, जीवाजी नगर थाटीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश दिनांक 08-08-2017 को श्री राहुल गुप्ता पुत्र श्री राम निवास गुप्ता, निवासी 345, जीवाजी नगर थाटीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश सेवानिवृत्त हुये अतः वर्तमान भागीदार फर्म मै. द कर्मा गुपा, पता एम. पी. ई. बी. पावर हाउस पिन्टो पार्क तिराहा, भिण्ड रोड, ग्वालियर मध्यप्रदेश के भागीदार श्रीमती निर्मला गुप्ता पत्नी श्री राम निवास गुप्ता, निवासी 345, जीवाजी नगर थाटीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश एवं श्रीमती शान्ती देवी गुप्ता पत्नी श्री आशाराम गुप्ता, निवासी 345, जीवाजी नगर थाटीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश एवं श्री राम निवास गुप्ता पुत्र श्री रतनलाल गुप्ता, निवासी 345, जीवाजी नगर थाटीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश एवं श्री अंकित गुप्ता पुत्र श्री राम निवास गुप्ता, निवासी 345, जीवाजी नगर थाटीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश है. अतः किसी भी भागीदार व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति फर्म के रजिस्ट्रार्ड पते पर दस दिन के अन्दर लिखित या मौखिक दर्ज करायें.

मै. द कर्मा गुपा,
अंकित गुप्ता,
(पार्टनर).

(872-बी.)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the firms" M/S OM STONE CRUSHER" of G-4 Shiva arcade, City center, Gwalior (M.P) Vide Registration No. 02/42/01/00062/13, dated 16-06-2013 has undergone the following changes :-

1. That 1. Shri Ram Niwas Sharma, 2. Shri Amarnath Sharma and 3. Shri Ganga Chourasiya have joined the Partnership firm w.e.f. 21-06-2013.
2. That 1. Shri Ram Niwas Sharma, 2. Shri Amarnath Sharma, 3. Shri Ganga Chourasiya, 4. Dharmendra Sharma, 5. Smt Neelam Chourasiya, 6. Shri Virendra Chourasiya and 7. Sanjay Jain have retited from firm w.e.f. 29-01-2014 and upon same date 1. Smt. Surekha Chourasiya has joined the firm. Firm,s main office address is also shifted from C L 34 Deendayal nagar, Bhind road Gwalior to Near State Bank, Bilaua Gwalior (MP) on same date.
3. That 1. Shri Satypal Singh Tomar, 2. Shri Shalesh Singh and 3. Shri Rajeev Sharma have joined the Partnership firm w.e.f. 26-01-2018 and upon same date 1. Smt Surekha Chourasiya and 2. Shri Shivdayal Chourasiya have retited from firm. firm. Firm,s main office address is also shifted from Near State Bank, Bilaua Gwalior (MP) to G-4 Shiva arcade, City center, Gwalior (M.P) on same date.

For Om Stone Crusher,
SATYPAL SINGH TOMAR,
(Partner).

(873-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि स्व. बदीलाल पिता श्री स्व. भंवरलाल मकवाना एवं गोविंद कुमार पिता स्व. श्री जगदीशचन्द्र जी टेलर की भागीदारी फर्म मैसर्स वंदना गैस एजेंसी आगर रोड़ बड़ौदा, जिला आगर में से श्री बदीलाल जी मकवाना का स्वर्गवास दिनांक 30-04-2017

को होने के कारण फर्म से पृथक् हो गए हैं एवं उनके स्थान पर उनकी पत्नी श्रीमति चंदाबाई/स्व. श्री बद्रीलाल मकवाना को नया भागीदारी बनाया गया है. इसी परिवर्तन के पश्चात् भागीदारी फर्म मैसर्स वंदना गैस एजेंसी में निम्न भागीदार हैं. (1) गोविंद कुमार टेलर/जगदीशचन्द्र जी टेलर, (2) चंदाबाई/बद्रीलाल जी मकवाना.

वास्ते-मैसर्स वंदना गैस एजेंसी,
गोविंद कुमार टेलर,
(भागीदार)

(874-बी.)

आगर रोड बड़ौदा, जिला आगर.

विविध न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट (शहर), रतलाम

क्र.04/बी-113(1)/2017-18.

रतलाम, दिनांक 05 मार्च 2018

फार्म-4

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4(2) के तहत]

क्र.04/आर-3/18.- आवेदक अध्यक्ष, चेतन्य कुमार काश्यप पिता श्री अशोक कुमार काश्यप, निवासी रतलाम के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्याय अधिनियम 1951 की धारा-4 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर पूर्व में पंजीबद्ध प्र.क्र.01/बी-113(1)/2011-12 आदेश दिनांक 9 जुलाई, 2012 से श्री गुरु राजेन्द्र जयंतसेन सुरि संस्थान ट्रस्ट के स्थान पर ट्रस्ट का नाम परिवर्तित कर " श्री जयंतसेन धाम चेतन्य काश्यप श्वेताम्बर तीर्थ पेढी " निवासी- विसाजी मेंशन, महात्मागांधी मार्ग रतलाम, प्रस्तावित किया है.

2. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट या उसकी सम्पत्ति के प्रति रुचि हो, प्रकरण में नियत दिनांक 04 अप्रैल, 2018 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के द्वारा प्रातः 11 बजे नियत दिनांक को उपस्थित हों. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम व पता	: " श्री जयंतसेन धाम चेतन्य काश्यप श्वेताम्बर तीर्थ पेढी " पता-विसाजी मेंशन, महात्मागांधी मार्ग रतलाम, मध्यप्रदेश रहेगा.
अचल सम्पत्ति	: तहसील. रतलाम नगर ग्राम खेतलपुर में स्थित कृषि भिन्न आशय की भूमि सर्वे क्र.34/18 व 34/17 रकबा 0.600, 0.200 कुल रकबा 0.800 रतलाम.
चल सम्पत्ति	: 15,300/. (रुपये पन्द्रह हजार तीन सौ).

(422)

क्र.01/बी-113(1)/2017-18.

रतलाम, दिनांक 09 मार्च 2018

फार्म-4

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4(2) के तहत]

क्र.01/आर-3/18.- आवेदक श्री लालचन्द्र पिता सिरमेल सुराना रतलाम के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्याय अधिनियम 1951 की धारा-4 के अंतर्गत " श्री दुवसुर तपागच्छ चारथुई श्री संघ वर्धमान तप आर्याबिल खाता, रतलाम मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 23 मार्च 2018 को की जावेगी.

2. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट या उसकी सम्पत्ति के प्रति रुचि हो, प्रकरण में नियत दिनांक 23 मार्च, 2018 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के द्वारा प्रातः 11 बजे नियत दिनांक को उपस्थित हों. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम व पता	:	“श्री देवसुर तपागच्छ चारथुई श्री संघ वर्धमान तप आर्यबिल खाता रतलाम मध्यप्रदेश” पता-वर्तमान सायर चबुतरा स्थित श्रद्धी आगमो द्वारक भवन में रहेगा.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	1,62,862/-

(423)

क्र.02/बी-113(1)/2017-18.

रतलाम, दिनांक 09 मार्च 2018

फार्म-4

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4(2) के तहत]

क्रमांक 02/आर-3/18.- आवेदक श्री आद्यगौड सनाद्य ब्राह्मण समाज न्यास, रतलाम के ट्रस्टीगणों के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 के अंतर्गत “श्री आद्यगौड सनाद्य ब्राह्मण समाज न्यास, रतलाम मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 23 मार्च, 2018 को की जावेगी.

2. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट या उसकी सम्पत्ति के प्रति रुचि हो, प्रकरण में नियत दिनांक 23 मार्च, 2018 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11 बजे नियत दिनांक को उपस्थित हों. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

न्यासी का पूरा नाम	:	“श्री आद्यगौड सनाद्य ब्राह्मण समाज न्यास, रतलाम मध्यप्रदेश” पता-कार्यालय रतलाम शहर में ही रहेगा.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	रु 3,00,656/-

(424)

अनिल भाना,
रजिस्ट्रार.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास बासौदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा

श्री गुरुनानक धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट उदयपुर द्वारा

अध्यक्ष श्री हरजीतसिंह जोसन पुत्र उज्जलसिंह जोसन,

निवासी अयोध्या नगर, गंजबासौदा, जिला विदिशा

.....आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

समक्ष:- पंजीयक लोक न्यास, बासौदा.

आवेदक श्री हरजीतसिंह जोसन पुत्र उज्जलसिंह जोसन, निवासी अयोध्या नगर, गंजबासौदा प्रस्तावित अध्यक्ष द्वारा श्री गुरुनानक धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट ग्राम उदयपुर, तहसील गंजबासौदा, जिला विदिशा के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अंतर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

1. न्यास का नाम

: श्री गुरुनानक धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट, ग्राम उदयपुर, तहसील गंजबासौदा,
जिला विदिशा, संरक्षक कलेक्टर महोदय, विदिशा.
अध्यक्ष हरजीतसिंह जोसन.

2. न्यास का कार्यालय : ग्राम उदयपुर एवं बासौदा तहसील गंजबासौदा, जिला विदिशा.
3. न्यास का कार्य क्षेत्र : जिला विदिशा.
4. न्यास का उद्देश्य : 1. गुरूनानक चरण पादिका मंदिर ग्राम उदयपुर का जीर्णोद्धार.
2. सिख धर्म गुरूद्वारा का निर्माण स्थान उदयपुर एवं बासौदा जिला विदिशा
3. धार्मिक सामाजिक चेतना हेतु शक्ति केन्द्र की स्थापना.
4. समाज में व्याप्त अंधविश्वास कुरीतियों को दूर करना.
5. ऐसे समस्त कार्य जो सिख धर्म के भावी कर्णधारों के विकास व राष्ट्र एवं विश्वा कल्याण के हित में हो एवं जनकल्याणकारी व भारतीयों के हित में हो.
6. राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा सामाजिक व राष्ट्र विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सकारात्मक सहयोग व संवैधानिक एवं मानवाधिकार के प्रति जागरुकता का प्रचार करना.
5. सदस्यता : संस्था/न्यास के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे-
1. संरक्षक सदस्य : संस्था का संरक्षक/प्रबंधक कलेक्टर महोदय विदिशा रहेंगे.
2. आजीवन सदस्य: जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रुपये 500/- या अधिक देगा वह आजीवन सदस्य बन सकेगा. यह राशि एक मुश्त या एक बार के अंदर भुगतान करना होगी.
3. साधारण सदस्य: जो व्यक्ति 500/- रुपये 6 माह अथवा 3000/- रुपये प्रतिवर्ष संस्था को दान के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा. साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिए उसने चंदा दिया है. जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के 6 माह तक देय चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी. ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिए नया आवेदन-पत्र देने तथा बकाया चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है.
6. सदस्यता की प्राप्ति : प्रत्येक व्यक्ति जो ट्रस्ट का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा ऐसा आवेदन-पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा. जिसके आवेदन-पत्र को स्वीकार करने या आमाम्य करने का अधिकार ट्रस्ट प्रबंधक कार्यकारिणी को होगा.
7. सदस्यों की योग्यता : संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है.
1. आयु 18 वर्ष से कम न हो.
2. सनातन धर्मांबलंबी हो व सनातन धर्म की परंपराओं को स्वीकार करता हो.
3. समिति के नियमों के पालन हेतु प्रतिज्ञारत हो.
4. सदचरित्र हो व व्यसन मुक्त हो.
8. सदस्यता की समाप्ति : संस्था का सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी.
1. मृत्यु होने पर.
2. पागल होने पर.
3. संस्था को देय दान की रकम नियमानुसार न देने पर.
4. त्याग-पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर.

5. चारित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिए जाने पर जिसके निर्णयानुसार निकाल दिए जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखितरूप में देना होगी।
9. संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी : सदस्यता पंजी कार्यालय में रखी जाएगी जिसमें सदस्य के ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे।
1. प्रत्येक सदस्य का नाम पता तथा व्यवसाय.
 2. वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नंबर.
 3. वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो.
10. साधारण सभा : 1. साधारण सभा को बैठक आवश्यकतानुसार होगी परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य रूप से होगी. बैठक का माह तथा बैठक का समय व स्थान कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को सूचना देगी.
2. प्रबंधक कार्यकारिणी सभा- प्रबंधक कार्यकारिणी सभा बैठक प्रति तीन माह में होगी बैठक का एजेंडा व सूचना बैठक दिनांक से 7 दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी.
11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य : 1. संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना.
2. संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना.
 3. आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना.
 4. अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हों
 5. संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना.
 6. बजट का अनुमोदन करना.
12. प्रबंधकारिणी का गठन : ट्रस्टीज द्वारा स्थायी अध्यक्ष के अलावा जो सदस्य, जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो के बैठक में बहुमत के आधार पर निर्मांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों में से निर्वाचन होगा.
1. कार्यकारी अध्यक्ष, 2. उपाध्यक्ष, 3. सचिव, 4. कोषाध्यक्ष, 5. संयुक्त सचिव.
13. प्रबंध समिति का कार्यकाल : प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा. समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तब जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा.
14. प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य : 1. जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना.
2. पिछले वर्ष की आय व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना.
 3. समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना, संस्था की चल-अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना.
 4. अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए.

5. संस्था की समस्त चल-अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से ही रहेगी जिसे संरक्षित करना कार्यकारिणी का दायित्व होगा. संस्था की अचल संपत्ति को नियमानुसार आवश्यक परिवर्तन, निर्माण, उन्नयन क्रय विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु प्रबंधकारिणी समय-समय पर बैठक कर निर्णय ले सकेगी. कार्यकारिणी द्वारा लिए गए निर्णयों पर बैठक में कोरम का पूर्ण होना अनिवार्य होगा.
15. स्थायी अध्यक्ष के अधिकार :
- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति के समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवाएगा, अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा.
1. ट्रस्ट सदस्यों को संपत्ति विक्रय, लीज, किराया या प्रतिभूत देने का अधिकार न होगा. स्थायी अध्यक्ष को कार्यकारिणी के पुनर्गठन हेतु सामान्य सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत कर नियमित समय अवधि से पूर्व भी कार्यकारिणी में परिवर्तन प्रस्तावित करने हेतु अधिकार होगा.
2. स्थायी अध्यक्ष संस्था के सुव्यवस्थित संचालन हेतु गठित कार्यकारिणी के सहयोग से विभिन्न आयामों के संचालन हेतु समितियां गठित कर सकेगा. उक्त समितियों द्वारा लिए सभी निर्णयों को कार्यकारिणी से अनुमोदित करना अनिवार्य होगा.
- स्थायी अध्यक्ष में योग्यताएं
1. मानसिक विकृत न हो.
2. भारतीय मूल का होकर सनातनधर्मी हो.
3. समाज के बहिष्कृत या रामानंदी संप्रदाय से बहिष्कृत न हो. सदविचारी हो.
16. सचिव /मंत्री के अधिकार :
1. साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन-पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना.
2. समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना.
3. समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाए जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना.
4. समस्त शासकीय आर्हताओं हेतु दस्तावेजों की पूर्ति करना व वित्तीय व कानूनी कार्यों हेतु दस्तावेजों व अन्य पूर्तियों को करना. सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रुपये 5000/- रुपये अनुमोदित करने का अधिकार होगा.
17. कोषाध्यक्ष के अधिकार :
- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत राशि व्यय करना. ऑडिट करना व वित्तीय दस्तावेजों का संरक्षण करना. कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित विकास व्यय व अन्य खर्चों का दस्तावेजी पूर्तियां करने के पश्चात भुगतान करना. बैंक के खातों के संचालन के सभी दस्तावेजों का संरक्षण करना.
18. बैंक खाता :
- संस्था की समस्त निधि किसी अधिसूचित व राष्ट्रीय बैंक या अन्य बैंक में रहेगी. धन के आहरण अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा. दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपये 500/- तक रहेंगे.

19. न्यास की चल संपत्ति : चल संपत्ति के रूप में बैंक में रुपये 15000/- रुपये जमा हैं।
20. न्यास की अचल संपत्ति : श्री गुरुनानक मंदिर, ग्राम उदयपुर, तहसील गंजबासौदा, जिला विदिशा स्थित है तथा ग्राम उदयपुर, तहसील गंजबासौदा स्थित भूमि आ.क्र.443 रकबा 3.847 हेक्टर. तथा आराजी क्रमांक 445 रकबा 1.777 हे.कुल रकबा 5.624 हे. है.
21. न्यास के आय के स्रोत : 1. न्यास की ग्राम उदयपुर स्थित गुरुनानक मंदिर की भूमि स्वामी, भूमि प्रबंधक कलेक्टर की फसल से प्राप्त आय.
2. मंदिर पर चढोतरी, अंशदान एवं ट्रस्ट को प्राप्त, अन्य साधनों से प्राप्त आय.

अतएव सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस श्री गुरुनानक धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट, ग्राम उदयपुर, तहसील गंजबासौदा, जिला विदिशा, संरक्षक कलेक्टर महोदय, विदिशा के पंजीयन में जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से एक माह के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें. अन्यथा ट्रस्ट पंजीयन की विधिवत आगामी कार्यवाही पूर्ण की जावेगी. प्रकरण में सुनवाई दिनांक 20 अप्रैल 2018 नियत है.

आज दिनांक 15 मार्च 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

(425)

सी. पी. गोहल,
उप.खण्ड अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास बण्डा, जिला सागर

प्र.क्र./बी-113(1)/वर्ष 2016-17.

बण्डा, दिनांक 07 फरवरी, 2018

मौजा-तिगोडा, तहसील शाहगढ़.

1. कोमलचंद पिता दरबारीलाल जैन
निवासी बण्डा.

.....आवेदक

विरुद्ध

2. मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

क्र./क/369/रीडर-1/2018.-सर्वसाधारण को इशतहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक कोमलचंद पिता दरबारीलाल जैन, निवासी बण्डा, तहसील बण्डा, जिला सागर के द्वारा मौजा तिगोडा प.ह.न.17 तहसील शाहगढ़, जिला सागर में स्थित श्री देव पार्श्वनाथ जैन मंदिर तिगोडा प्रबंधक कलेक्टर महोदय, सागर के नाम खसरा न. 198,203,216,221,377,2017 एवं 2651 रकबा क्रमशः 5.28 दर्ज है. आवेदक द्वारा पूर्व मुहत्तमकार स्व. प्रेमचंद पिता मोहनलाल जैन एवं भायजी कपुरचंद पिता पुनू उर्फ सुनूलाल जैन की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप आवेदक स्वयं को मुहत्तमकार दर्ज किए जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

आवेदन पर तहसीलदार, बण्डा से प्रतिवेदन लिया गया उन्होने अपने प्रतिवेदन दिनांक 09 नवम्बर,2016 में लेख किया है कि मंदिर में मौजा तिगोडा स्थित भूमि खसरा न. 198, 203, 216, 221, 377, 2017 एवं 2651 रकबा क्रमशः 5.28 में स्थित श्रीदेव पार्श्वनाथ जैन मंदिर तिगोडा मंदिर की व्यवस्थापन विनोदकुमार पिता कुदंनलाल तथा अरुणकुमार पिता प्रेमचंद तथा शेष आवेदक मिलकर कर रहे है तथा उन्हे ही मंदिर व्यवस्थापक नियुक्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

अतः प्रेमचंद जैन के स्थान पर अरुणकुमार पिता प्रेमचंद तथा विनोदकुमार पिता कुदंनलाल जैन को एवं शेष यथावत को मुहत्तमकार नियुक्त किए जाने में जिस किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति समक्ष में पेशी दिनांक 26 दिसम्बर. 2017 को स्वयं अथवा अपने वैद्य प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. बाद म्याद गुजरने पर आपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाएगा.

इशतहार मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

जारी दिनांक 07 फरवरी 2018

पेशी दिनांक 26 अप्रैल 2018

(426)

बी.बी.पाण्डेय,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड

भिण्ड, दिनांक 28 फरवरी, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., दबोहा.

क्र./परि./2018/222.—ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., दबोहा, जिला भिण्ड के द्वारा संस्था का निर्वाचन न कराने से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा गत वर्षों से कार्य करना बंद कर दिया है व आर्थिक रूप से भी अक्षम है. अतः संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रूचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया है.
6. संस्था संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
7. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 के तहत आमसभा का आयोजन नहीं किया है.
8. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु वित्तीय पत्रक समय पर प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं.

अतः उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्त-युक्त पूर्ण उत्तर दिनांक 15 मार्च, 2018 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित एवं मौखिक कथन प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं, तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(427)

भिण्ड, दिनांक 28 फरवरी, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

चम्बल पर्यटन विकास सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड.

क्र./परि./2018/225.—चम्बल पर्यटन विकास सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड, जिला भिण्ड के द्वारा संस्था का निर्वाचन न कराने से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा गत वर्षों से कार्य करना बंद कर दिया है व आर्थिक रूप से भी अक्षम है. अतः संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रूचि नहीं ले रहे हैं.

3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया है.
6. संस्था संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
7. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 के तहत आमसभा का आयोजन नहीं किया है.
8. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु वित्तीय पत्रक समय पर प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं.

अतः उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्त-युक्त पूर्ण उत्तर दिनांक 15 मार्च, 2018 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित एवं मौखिक कथन प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं, तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(428)

भिण्ड, दिनांक 28 फरवरी, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

पं. दीनदयाल ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था,
मर्या, मछण्ड.

क्र./परि./2018/223.—पं. दीनदयाल ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, मर्या, मछण्ड, जिला भिण्ड के द्वारा संस्था का निर्वाचन न कराने से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा गत वर्षों से कार्य करना बंद कर दिया है व आर्थिक रूप से भी अक्षम है. अतः संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रूचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया है.
6. संस्था संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
7. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 के तहत आमसभा का आयोजन नहीं किया है.
8. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु वित्तीय पत्रक समय पर प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं.

अतः उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्त-युक्त पूर्ण उत्तर दिनांक 15 मार्च, 2018 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित एवं मौखिक कथन प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं, तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(429)

भिण्ड, दिनांक 28 फरवरी, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

महाराणा प्रताप उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., मेहगाँव.

क्र./परि./2018/221.—महाराणा प्रताप उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., मेहगाँव, जिला भिण्ड के द्वारा संस्था का निर्वाचन न कराने से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा गत वर्षों से कार्य करना बंद कर दिया है व आर्थिक रूप से भी अक्षम है. अतः संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रूचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया है.
6. संस्था संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
7. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 के तहत आमसभा का आयोजन नहीं किया है.
8. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु वित्तीय पत्रक समय पर प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं.

अतः उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्त-युक्त पूर्ण उत्तर दिनांक 15 मार्च, 2018 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित एवं मौखिक कथन प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयविधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं, तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(430)

भिण्ड, दिनांक 28 फरवरी, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चांदावली नं. 2.

क्र./परि./2018/224.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चांदावली नं. 2, जिला भिण्ड के द्वारा संस्था का निर्वाचन न कराने से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा गत वर्षों से कार्य करना बंद कर दिया है व आर्थिक रूप से भी अक्षम है. अतः संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रूचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया है.
6. संस्था संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
7. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 के तहत आमसभा का आयोजन नहीं किया है.
8. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु वित्तीय पत्रक समय पर प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं.

अतः उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्त-युक्त पूर्ण उत्तर दिनांक 15 मार्च, 2018 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित एवं मौखिक कथन प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं, तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बबलू सातनकर,
उप पंजीयक.

(431)

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला भिण्ड

भिण्ड, दिनांक 09 मार्च, 2018

[मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम-57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/262.-सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों को जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप आयुक्त, सहकारिता, जिला भिण्ड के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियां जिनके आगे पंजीयन क्रमांक एवं परिसमापन आदेश दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लायी गई हैं तथा धारा-70 (1) के तहत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	संस्था का परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4	5
1.	आर्दश तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, भिण्ड	138/11-06-1965	1093/20-06-1991	678/12-06-2017
2.	उन्नति चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, भिण्ड	173/17-06-1965	2680/20-04-1984	678/12-06-2017
3.	ऊन उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, भिण्ड	141/24-10-1963	934/31-03-1998	678/12-06-2017
4.	आर्दश चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, भिण्ड	138/17-06-1965		678/12-06-2017
5.	दाल चावल उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, भिण्ड	184/23-01-1973	2730/29-09-1977	678/12-06-2017
6.	दाल चावल उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, विलाव	183/23-01-1973		678/12-06-2017
7.	ईट भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, पुर	4399/30-06-1968	4399/30-04-1965	678/12-06-2017
8.	भिण्ड लेदर वर्क्स उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, भिण्ड	8232/14-12-1972	8228/20-10-1968	678/12-06-2017
9.	मोचियान उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, भिण्ड	7883/21-12-1975	7883/27-12-1978	678/12-06-2017
10.	राष्ट्रीय तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, पुर	2430/23-07-1979	931/31-03-1990	678/12-06-2017
11.	चाय केटरिंग व्यवसायिक साख सहकारी संस्था मर्या, भिण्ड.	1028/28-05-2014	431/31-03-2017	678/12-06-2017
12.	देवी अहिल्या बाई स्वा. साख सहकारिता, फूप	186/10-04-2007	1220/27-10-2016	678/12-06-2017
13.	भारती जन विकास स्वा. साख सहकारिता, भिण्ड	201/30-01-2013	1221/27-10-2016	678/12-06-2017

1	2	3	4	5
14.	प्राथमिक सतगुरू यातायात गंगोले का पुरा, भिण्ड	679/19-01-1991	1500/25-06-2009	678/12-06-2017
15.	नव निर्माण श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्या, भिण्ड	33/14-09-1982		678/12-06-2017
16.	हरि. श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, अकोड़ा	274/09-09-1987	1202/20-06-1991	678/12-06-2017
17.	शिव श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, भिण्ड	741/20-02-1998	719/16-03-050	678/12-06-2017
18.	मां दुर्गा रेत खदान सहकारी संस्था मर्यादित, भिण्ड	533/16-09-1994		678/12-06-2017
19.	खदान कामगार स्वा. सहकारिता मर्यादित, भिण्ड	116/01-03-2004		678/12-06-2017
20.	विवेकानन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भिण्ड	15/18-01-1976	1232/20-06-1992	678/12-06-2017
21.	निराला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भिण्ड	14/29-08-1978	105/22-01-1994	678/12-06-2017
22.	आर्दश नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भिण्ड	413/26-05-1986	2208/03-11-2000	678/12-06-2017
23.	आर्दश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भिण्ड	361/09-09-1985	2205/08-11-2000	678/12-06-2017
24.	शिवा सदन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भिण्ड	13/10-04-1974	1582/15-06-2005	678/12-06-2017
25.	अनु. जाति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भिण्ड	12/10-03-2013	1583/25-06-2009	678/12-06-2017

अतः मैं, एन. एस. त्रिवेदी, व.स. नि. एवं परिसमापक, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियम, 1962 के नियम-57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो, तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के भीतर अपने दावे एवं आपत्तियां प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला भिण्ड (जिला पंचायत परिसर) में प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. उपलब्ध रिकार्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/ पदाधिकारियों, व्यक्तियों के पास उक्त समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ बही एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा करें अन्यथा अवधि समाप्त होने पर किसी व्यक्ति के उपरोक्त समितियों के रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी.

आज दिनांक 09 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

(432)

एन. एस. त्रिवेदी,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगौन

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत]

उपायुक्त सहकारी संस्थाये खरगौन के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाये अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोगावा	706/06-07-1987	1323/07-10-2013
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बेहगांव	1491/28-07-2006	1336/07-10-2013

1	2	3	4
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुंडिया	1447/23-06-2003	1355/07-10-2013
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चुन्दडिया	1379/23-08-2002	1325/07-10-2013
5.	मां यमुना प्रा.भंडार सहकारी संस्था मर्या., महेश्वर	1443/22-09-2005	531/04-04-2014
6.	महिष्मती प्रा.भंडार सहकारी संस्था मर्या., महेश्वर	1501/21-03-2007	528/04-04-2014
7.	राधेरानी साख सहकारी संस्था मर्या., खरगोन	73/09-05-2005	1737/28-12-2010
8.	कम्प्यूटर साख सहकारी संस्था मर्या., खरगोन	17/05-02-2003	1720/28-12-2010
9.	मातृशक्ति साख सहकारी संस्था मर्या., खरगोन	1731/10-03-2014	1327/31-10-2014
10.	मां रेवा प्रा.भंडार सहकारी संस्था मर्या., महेश्वर	1452/19-10-2003	793/10-08-2017
11.	श्री साई महिला साख सहकारी संस्था मर्या., महेश्वर	08/25-10-2005	1516/19-11-2013
12.	राजराजेश्वर साख सहकारी संस्था मर्या., महेश्वर	1028/12-12-1996	122/15-01-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 सी ग के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के भीतर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें त्रुटि कि दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

(433)

आर. के. रोमडे,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक सम्मान परिवहन एवं पर्यटन सहकारी संस्था, जिला महिदपुर

उज्जैन, दिनांक 06 मार्च, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./क्यू./2018/1.सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्र./परि./2018/574, उज्जैन, दिनांक 05 मार्च, 2018 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	सम्मान परिवहन एवं पर्यटन सहकारी संस्था मर्या., महिदपुर	2322/14-09-2016	क्र./परि./2018/574, दिनांक 05 मार्च 2018

अतः मैं, राजेन्द्र वर्मा, सहकारी निरीक्षक,परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़ चल-अचल सम्पत्तियां या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो, तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अंदर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें. अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 06 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

(434)

राजेन्द्र वर्मा,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक 09 मार्च, 2018

कारण बताओं सूचना पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/448.—वरुण मत्स्ययोद्योग सहकारी संस्था मर्या. पिपरी, तहसील खरगोन, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 2174, दिनांक 26 जुलाई, 2017 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है. संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1),(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था द्वारा कार्यक्षेत्र के बाहर के सदस्यों को सम्मिलित किया गया है.
8. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.

अतः मै राजेश क्षत्री, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क,बी/ख,सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्दह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूं कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(435)

राजेश क्षत्री,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 28 फरवरी, 2018

क्र./परि./2018/464.—रानी लक्ष्मीबाई प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, करैरा, जिला शिवपुरी, पंजीयन क्र. 372, दिनांक 30 जुलाई, 1996 के परिसमापक श्री डी. पी. राठौर, सहकारी निरीक्षक द्वारा उपरोक्त संस्था के सदस्यों के हितों की दृष्टि से कार्यशील किये जाने का प्रस्ताव अपनी अनुशांसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है. जिससे सहमत होते हुये पूर्व आदेश क्र./परि./2016/1067, दिनांक 26 मई, 2016 को निरस्त किया जाकर संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त किया जाता है. संस्था के कारोबार चलाने हेतु 03 माह के लिये निर्मांकित सदस्यों की प्रबंध समिति नामांकित की जाती है. नामांकित प्रबंध समिति 03 माह के भीतर नियमानुसार निर्वाचन कराये जाने की कार्यवाही प्रारंभ करें अन्यथा की स्थिति में संस्था को पुनः परिसमापन में लाने की कार्यवाही कर दी जावेगी :-

- | | |
|---|-----------|
| 1. श्रीमती कनिजा बेगम पत्नि श्री शहजाद खॉन | अध्यक्ष |
| 2. कु. रबीना पुत्री श्री हबीब खॉन | उपाध्यक्ष |
| 3. कु. गुडिया पुत्री श्री जाहगीर खॉन | सदस्य |
| 4. श्रीमती शबाना वानो पत्नि श्री सुलतान खॉन | सदस्य |
| 5. श्रीमती निशा खॉन पत्नि श्री खलीद खॉन | सदस्य |

(436)

शिवपुरी, दिनांक 28 फरवरी, 2018

क्र./परि./2018/465.—रामसती मत्स्यौद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, आर्डर, जिला शिवपुरी, पंजीयन क्र. 441, दिनांक 16 मार्च, 1999 के परिसमापक श्री व्ही. के. जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा उपरोक्त संस्था के सदस्यों के हितों की दृष्टि से कार्यशील किये जाने का प्रस्ताव अपनी अनुशांसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है। जिससे सहमत होते हुये पूर्व आदेश क्र./परि./2016/705, दिनांक 06 अप्रैल, 2016 को निरस्त किया जाकर संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त किया जाता है। संस्था के कारोबार चलाने हेतु 03 माह के लिये निर्मांकित सदस्यों की प्रबंध समिति नामांकित की जाती है। नामांकित प्रबंध समिति 03 माह के भीतर नियमानुसार निर्वाचन कराये जाने की कार्यवाही प्रारंभ करें अन्यथा की स्थिति में संस्था को पुनः परिसमापन में लाने की कार्यवाही कर दी जावेगी :-

- | | | |
|----|--------------------------------------|-----------|
| 1. | श्री नाथूराम पुत्र श्री छोटेलाल | अध्यक्ष |
| 2. | श्री चन्दन सिंह पुत्र श्री मूलचन्द्र | उपाध्यक्ष |
| 3. | श्री हरिसिंह पुत्र श्री लालाराम | सदस्य |
| 4. | श्री जसरथ पुत्र धनीराम | सदस्य |
| 5. | श्री रधुवीर पुत्र काशीराम | सदस्य |
| 6. | श्रीमती श्यामवती पत्नि चन्दन सिंह | सदस्य |
| 7. | श्रीमती प्रेमवती पत्नि नाथूराम | सदस्य |

(437)

शिवपुरी दिनांक 15 मार्च, 2018

क्र./परि./2017/540.—निर्मांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सासोयटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	परि. संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., फुलीपुरा, शिवपुरी.	743/01-03-2017	1920/24-07-2017	श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(438)

के. के. द्विवेदी,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च, 2018-चैत्र 9, शके 1940

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 11 अक्टूबर, 2017

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में प्रायः मौसम शुष्क रहा तथा राज्य के कुछ जिलों में निम्नांकित तहसीलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक— तहसील गुन्नौर (पन्ना), बण्डा, देवरी, गढ़ाकोटा, केसली (सागर), रघुराजनगर, उचेहरा, मैहर (सतना), ब्योहारी, बुढार, गोहपारु (शहडोल), बांधवगढ़, पाली (उमरिया), गोपदवनास, मझौली, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), सिंगरौली (सिंगरौली), रतलाम (रतलाम), खाचरौद, तराना, घटिया (उज्जैन), शुजालपुर (शाजापुर), जोवट, अलीराजपुर, कट्टीबाड़ा, सौण्डवा (अलीराजपुर), सरदारपुर, धार, धरमपुरी (धार), इन्दौर, महू (इन्दौर), झिरन्या (खरगौन), निवाली (बड़वानी), लटेरी, सिरोंज (विदिशा), सीहोर, आष्टा, नसरुल्लागंज, श्यामपुर, जावट, बुधनी (सीहोर), रायसेन, गौरतगंज, गोहरगंज, बरेली, बाड़ी (रायसेन), होशंगाबाद, बाबई, पिपरिया, वनखेडी, पचमढी (होशंगाबाद), जबलपुर, कुण्डम, पाटन (जबलपुर), कटनी, बरही (कटनी), घुघरी (मण्डला), बजाग (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, परासिया, बिछुआ, चौरई, चांद (छिन्दवाड़ा), परसवाड़ा, विरसा (बालाघाट) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि.मी. तक.—तहसील रेहली (सागर), सोहागपुर, जयसिंहनगर (शहडोल), जैतहरी, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), मानपुर (उमरिया), उज्जैन (उज्जैन), शाजापुर, गुलाना (शाजापुर), चन्द्रशेखरआजादनगर (अलीराजपुर), कुच्छी, डही (धार), महेश्वर, कसरावद (खरगौन), बड़वानी, संधवा, पाटी (बड़वानी), पंधाना, हरसूद (खण्डवा), बुरहानपुर (बुरहानपुर), विदिशा (विदिशा), उदयपुरा (रायसेन), भैंसदेही, घोड़ाडोंगरी, चिचोली, मुलताई, आमला (बैतूल), सोहागपुर (होशंगाबाद), रीठी (कटनी), बिछिया, नारायणगंज (मण्डला), शाहपुरा (डिण्डोरी), तामिया, अमरवाडा, उमरेठ, हर्ई, जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा), कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि.मी. तक.—तहसील जैतपुर (शहडोल), चितरंगी (सिंगरौली), उदयगढ़ (अलीराजपुर), भगवानपुरा (खरगौन), राजपुर, पानसेमल, बरला (बड़वानी), खण्डवा (खण्डवा), नेपानगर (बुरहानपुर), शाहपुर, आठनेर (बैतूल), नैनपुर, निवास (मण्डला), डिण्डोरी (डिण्डोरी), मोहखेड, पांढुर्णा (छिन्दवाड़ा), बैहर, बारासिवनी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि.मी. तक- तहसील कोतमा (अनूपपुर), गंधवानी (धार), खरगौन, सेगांव, गोगांवा, बडवाह, भीकनगांव (खरगौन), खकनार (बुरहानपुर), बैतूल (बैतूल), सोंसर (छिन्दवाड़ा), बालाघाट, खैरलांजी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

2. **जुताई**.- जिला ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, सतना, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, मंदसौर, शाजापुर, झाबुआ, सीहोर, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला डिण्डोरी में जुताई कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है।

3. **बोनी**.- जिला डिण्डोरी में फसल राई, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, दमोह, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, मंदसौर, उज्जैन, शाजापुर, बड़वानी, भोपाल, सीहोर, जबलपुर, नरसिंहपुर में रवि फसलों की बोनी चालू होना प्रतिवेदित किया गया है।

4. **फसल स्थिति**.- जिला सागर, सतना, नीमच में कटी फसल पर अल्पवर्षा से अलीराजपुर, खण्डवा, बैतूल में सोयाबीन पर पीला मैजिक रोग हरदा में अल्पवर्षा व कीट से नरसिंहपुर में खरीफ फसल पर पीला मैजिक रोग से आंशिक क्षति तथा जिला छिन्दवाड़ा में सोयाबीन फसल पर कीटों के प्रकोप से 30 से 40 प्रतिशत क्षति होना प्रतिवेदित किया गया है।

5. **कटाई**.- जिला मुरैना में बाजरा, धार, होशंगाबाद में सोयाबीन, डिण्डोरी में धान, बुरहानपुर में सोयाबीन, ज्वार, मक्का की कटाई व कपास की चुनाई तथा जिला विदिशा, राजगढ़, दमोह, सीधी, उज्जैन व बैतूल में खरीफ फसलों की कटाई पर चालू होना प्रतिवेदित किया गया है।

6. **सिंचाई**.- जिला ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, सतना, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, झाबुआ, बड़वानी, भोपाल, बैतूल, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

7. **पशुओं की स्थिति**.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषजनक होना प्रतिवेदित किया गया है।

8. **चारा**.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

9. **बीज**.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

10. **खेतिहर श्रमिक**.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 11 अक्टूबर, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. बाजरा फसल की कटाई चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) धान कम. गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, तुअर, सोयाबीन, उड़द, मूंग, कपास, ग्वार, समान. (2) गन्ना, ज्वार, तुअर, ग्वार, कपास सुधरी. शेष फसलें बिगड़ी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. गोरमी 7. रौन/मिहोना 8. मौ				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. बोनी कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. चिनोर 5. घाटीगांव				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है. बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) गन्ना, मूंगफली अधिक. तिल, उड़द, मूंग कम. धान समान. (2) गन्ना समान. शेष फसलें बिगड़ी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. इन्दरगढ़ 4. बढौनी 5. भाण्डेर				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है. बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) सोयाबीन, तिल. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बैराढ़	..				
9. बदरवास	..				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. बोनी कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) उड़द, मक्का अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली	..				
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. नई सराय	..				
6. पिपरई	..				
7. शाढौरा	..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) सोयाबीन, उड़द, मक्का, मूंग सामान्य. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना	..				
2. राघोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. मकसूदनगढ़	..				
7. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. रबी फसले हेतु जुताई चालू.	3. . . 4. (1) धान, ज्वार, अरहर अधिक. मूंगफली, सोयाबीन कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. खरगापुर	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. लिधौरा	..				
10. ओरछा	..				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) धान, तिल अधिक. तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लोण्डी	..				
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामल्हरा	..				
8. महाराजपुर	..				
9. चंदला	..				
10. धुवारा	..				
11. लवकुश नगर	..				
12. बक्सवाहा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	5.3				
4. पवई	. .				
5. रेपुरा	. .				
6. अमानगंज	. .				
7. देवेन्द्र नगर	. .				
8. सिमरिया	. .				
9. शाहनगर	. .				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. कटी फसल में वर्षा के कारण क्षति.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, उड़द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) उपरोक्त फसलें कम.		
3. बण्डा	3.0				
4. सागर	0.2				
5. रेहली	34.0				
6. देवरी	15.0				
7. गढ़ाकोटा	5.0				
8. राहतगढ़	. .				
9. कंसली	4.0				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. बोनी कार्य चालू है. खरीफ फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) गन्ना, सोयाबीन, धान, मक्का, तुवर, ज्वार, चना सुधरी	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. पानी की कमी से फसलों में क्षति हुई.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	8.8		4. (1) सोयाबीन कम. तुअर, तिल, धान, बाजरा, कोदों-कूटकी समान.	6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) सोयाबीन, धान बिगड़ी/शेष फसल समान.		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	9.0				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	3.0				
9. कोठर	. .				
10. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	. .		4. (1) धान, सोयाबीन कम. उड़द, मूंग, तुअर, ज्वार, कोदों अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		(2) सोयाबीन, उड़द, मूंग बिगड़ी. शेष फसलें समान.		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हुजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. मनगवां	. .				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुरकर्चुलियान	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है. बोनी चालू हो रही हैं.	3. . . 4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, तिल, अधिक. कोदो, सोयाबीन समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	25.0				
2. ब्यौहारी	12.0				
3. जैसिंहनगर	34.0				
4. बुढ़ार	13.0				
5. गोहपारू	6.0				
6. जैतपुर	38.0				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) मक्का अधिक, धान, सोयाबीन, तुअर, तिल, कोदों समान. (2) धान, सोयाबीन बिगड़ी. शेष समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	26.1				
2. अनूपपुर	17.5				
3. कोतमा	68.6				
4. पुष्पराजगढ़	29.5				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. बोनी चालू	3. . . 4. (1) उड़द, अरहर, ज्वार, तिल, अधिक. मक्का, कोदों कुटकी, मूंग-मोठ समान. धान समान. (2) धान बिगड़ी हुई. शेष फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	5.3				
2. पाली	14.0				
3. चंदिया	. .				
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	18.7				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. रबी जुताई कार्य चालू रबी फसल की बोनी कार्य चालू. खरीफ फसलों की कटाई कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	5.6				
2. सिंहावल	. .				
3. मझौली	2.0				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	7.3				
6. बहरी	. .				
7. रामपुरनैकिन	4.8				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू बोनी कार्य चालू	3. . . 4. (1) मक्का, उड़द, ज्वार, राहर, कोदों, तिल, धान कम. (2) मक्का, उड़द, धान बिगड़ी. शेष फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	48.2				
2. देवसर	. .				
3. सरई	. .				
4. माडा	. .				
5. सिंगरौली	11.6				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है. बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) सोयाबीन, मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .				
2. भानपुरा	. .				
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. दलोदा	. .				
9. धुंधड़क्का	. .				
10. संजीत	. .				
11. कयामपुर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2 सोयाबीन में आंशिक क्षति.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4.(1) मक्का, उड़द, मूंगफली अधिक. सोयाबीन, अरहर, मूंग, तिल, ज्वार कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) सोयाबीन बिगड़ी हुई शेष फसल समान.		
3. सिंगौली	. .				
4. जीरन	. .				
5. रामपुर	. .				
6. मनासा	. .				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4.(1) मक्का कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		सोयाबीन, कपास.		
3. सैलाना	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बाजना	. .				
5. ताल	. .				
6. रावटी	. .				
7. पिपलोदा	. .				
8. रतलाम	3.2				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2 बोनी कार्य चालू. कटाई कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	9.0		4.(1) सोयाबीन कम. मक्का, उड़द, तुअर, मूंग, मूंगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. तराना	8.0				
4. घटिया	8.0				
5. उज्जैन	23.0				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
25. *जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोवनी कार्य चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ोदिया	. .		4.(1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार कम. तुअर, उड़द, मूंग अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	18.4		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शुजालपुर	2.0				
4. कालापीपल	. .				
5. पोलाय कलां	. .				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	. .				
7. गुलाना	18.0				
27. *जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. हाटपिपल्या	. .				
7. सतवास	. .				
8. उदयनगर	. .				
9. खातेगांव	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. फसल चना हेतु जुताई चालू.	3. . . 4. (1) धान, मक्का, उड़द, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, तुअर अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	. .				
2. मेघनगर	. .				
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. उड़द पर पीला मोजेक का प्रभाव.	3. . . 4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, उड़द. अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	10.2				
2. अलीराजपुर	9.4				
3. कट्टीवाड़ा	6.0				
4. सोंडवा	11.0				
5. उदयगढ़	35.0				
6. चन्द्रशेखर आ. नगर	18.8				
7. भामरा	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. फसल सोयाबीन की कटाई कार्य चालू रहा है.	3. . . 4. (1) सोयाबीन समान. मक्का, कपास, गन्ना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .				
2. सरदारपुर	1.0				
3. धार	2.4				
4. कुक्षी	20.5				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	16.0				
7. गंधवानी	66.0				
8. डही	29.0				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. वर्षा से आंशिक प्रभाव.	3. . . 4. (1) ज्वार, उड़द, मूंगमोठ, मूंगफली अधिक. मक्का, तुअर, सोयाबीन, कपास, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .				
2. सांवेर	. .				
3. इन्दौर	2.5				
4. गौतमपुरा	. .				
5. हातोद	. .				
6. महू	1.0				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, तुअर, मूंगफली कम. कपास अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	79.0				
2. महेश्वर	21.0				
3. सेगांव	72.0				
4. खरगौन	79.4				
5. गोगावां	111.0				
6. कसरावद	23.0				
7. भगवानपुरा	46.4				
8. भीकनगांव	55.0				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	14.0				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गन्ना, कपास अधिक. ज्वार, कपास कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वानी	25.4				
2. ठीकरी	. .				
3. राजकोट (राजपुर)	37.0				
4. सेंधवा	29.0				
5. पानसेमल	45.0				
6. पाटी	25.0				
7. अंजड	. .				
8. बरला	48.2				
9. निवाली	4.0				
10. खण्डवा	46.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	46.0		4. (1) मक्का, तुअर, कपास अधिक है उड़द समान है. ज्वार, मूंगफली कम है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	. .		(2) सोयाबीन सुधरी हुई. ज्वार, तुअर, मूंगफली, मक्का, कपास समान. सोयाबीन एवं उड़द बिगड़ी हुई.		
3. खालवा	. .				
4. पंधाना	26.0				
5. हरसूद	26.0				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन, ज्वार, मक्का की कटाई प्रारंभ कपास की चुनाई प्रारंभ.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	23.4		4. (1) कपास, मूंगफली, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	60.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी.		
3. नेपानगर	42.0				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	. .		4. (1) मक्का, अरहर, सोयाबीन मूंग, तिल अधिक. धान, ज्वार, उड़द, मूंगफली कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. खिलचीपुर	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. कटी फसल वर्षा से प्रभावित.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	2.0		4. (1) सोयाबीन, उड़द, मूंग.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	0.9		(2) सोयाबीन ठीक, शेष प्रभावित.		
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	25.0				
7. गुलाबगंज	. .				
8. समसाबाद	. .				
9. त्योंदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. रबी बोनी प्रारम्भ.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) सोयाबीन, धान घटी.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बैरागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. हुजूर	. .				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है. बोनी चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	9.0		4. (1) धान अधिक. ज्वार, तुअर, कम. गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	16.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. इच्छावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	13.0				
5. रेहटी	23.0				
6. श्यामपुर	1.0				
7. जावर	12.0				
8. बुधनी	10.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	16.8		4 (1) धान, सोयाबीन, तुअर, मक्का	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	17.4		उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		ज्वार.		
4. गोहरगंज	15.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
5. बरेली	8.6				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	3.0				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	27.0				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. अपर्याप्त.
1. बैतूल	63.4	का कार्य चालू है.	4 (1) धान, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	26.6		मक्का अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. घोड़ाडोंगरी	20.0		(2) मक्का सुधरी/शेष फसलें		
4. शाहपुर	47.0		बिगड़ी.		
5. चिचौली	19.8				
6. मुलताई	26.3				
7. आठनेर	39.5				
8. आमला	32.0				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. फसल सोयाबीन की	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	5.0	कटाई का कार्य चालू है.	4 (1) धान, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिवनी मालवा	. .		सोयाबीन, मूँगमोठ, तुअर	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	13.0		कम.		
4. इटारसी	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुईं.		
5. सोहागपुर	23.0				
6. पिपरिया	11.0				
7. बनखेड़ी	5.0				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढी	10.8				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. अल्प वर्षा से खड़ी फसलों	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .	पर आंशिक रूप से कीट	4 (1) सोयाबीन कम. उड़द, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .	का प्रभाव है.	मक्का अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. सिराली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. रेहटगांव	. .				
5. हॉडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	15.8	बोनी कार्य चालू है.	4 (1) उड़द, मूँग अधिक. धान,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	3.0		मक्का, तुअर, सोयाबीन कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सीहोरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुईं.		
4. पाटन	4.6				
5. मझौली	. .				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4 (1) धान, मक्का, तुअर उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		तिल.	चारा पर्याप्त.	
3. रीठी	24.0		(2) उड़द, तिल, सुधरी. शेष		
4. बड़वारा	. .		फसलें समान.		
5. मुड़वारा (कटनी)	2.0				
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	6.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी प्रारंभ. .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	. .	जुताई चालू	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गोटेगांव	. .	पीला मोनेक का प्रभाव.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. करेली	. .				
4. गाडरवारा	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य प्रारम्भ.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मण्डला	. .		4. (1) धान, कोदो, मक्का, सोया,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नैनपुर	37.8		तिल, रामतिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बिछिया	24.9		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी.		
4. निवास	37.2				
5. नारायणगंज	25.8				
6. घुघरी	3.0				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू राई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	48.2	बोनी कार्य चालू. धान	4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	25.7	की कटाई चालू.	कोदों कुटकी, तुअर, उड़द,	चारा पर्याप्त.	
3. बजाग	12.5		रामतिल समान.		
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन पर 8000 है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	15.2	पर कीडों के प्रकोप	4. (1) मक्का अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. तामिया	18.0	से 30% से 40% क्षति	धान, मूंगफली समान.	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	15.6		(2) मक्का, धान सामान्य.		
4. जामई	. .		शेष बिगड़ी हुई.		
5. सोंसर	55.0				
6. बिछुआ	12.7				
7. अमरवाड़ा	31.6				
8. चौरई	14.4				
9. उमरेठ	20.4				
10. मोहखेड	43.8				
11. हरई	18.6				
12. चांद	2.2				
13. जुन्नारदेव	25.4				
13. पांडुर्णा	41.4				
50. *जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सिवनी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. बरघाट	. .		(2) . .		
3. कुरई	. .				
4. कवलारी	. .				
5. लखनादोन	. .				
6. छपारा	. .				
7. घनोरा	. .				
8. घंसोर	. .				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	72.2		4. (1) धान सामान्य.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
3. किरनापुर	. .				
4. बैहर	50.0				
5. वारासिवनी	52.1				
6. कटंगी	30.2				
7. लालबर्रा	. .				
8. तिरोडी	. .				
9. परसवाड़ा	9.2				
10. बिरसा	11.0				
11. खैरलाँजी	76.2				

टीप :- *जिला आगर, देवास, सिवनी से पत्रक अप्राप्त हैं.

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(421)